न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०-01,आजमगढ़।

UPAZ010051892026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 2153/2026

1. अमन यादव उम्र लग०- 19 वर्ष पुत्र राजेश यादव, साकिन नैपुरा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

---------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1. उ०प्र०सरकार

----------विपक्षी।

दिनांक-01.06.2026

1. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०- 2153/2026, आवेदक/अभियुक्त **अमन यादव** की तरफ से मु०अ०सं०- 75/2026, अंतर्गत धारा- 304,317(2) बी०एन०एस०, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
2. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित सभी तथ्यों का सही होना बताया गया है।
3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्यामनरायन यादव दिनांक 16.05.2026 की रात आजमगढ़ से दूध बाँटकर घर वापस आ रहा था, तो समय लगभग 10.00 बजे जब वह नयपुरा प्राईमरी स्कूल के पहले स्थित गुमती के पास पहुँचा, तो तीन व्यक्ति जिन्हें वह नहीं पहचानता, अचानक हमराही गाड़ी के सामने रोड पर आ गये और उसमें से एक व्यक्ति उसके गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर नोच लिया, जिससे वह गाड़ी लेकर सड़क पर गिर गया, तो वह तीनों लोग वहाँ से भाग गये।
4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, जानबूझकर फर्जी अपराध में अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना एन्टीडेटेड व एन्टीटाईम है व प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिविलम्ब से वादी मुकदमा द्वारा स्थानीय थाना की पुलिस को नाजायज साजिश में लेकर उसके विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा ग्राम प्रधान है व अभियुक्त से रंजिश रखता है। मुकदमा अज्ञात में दर्ज कराया गया।

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.06.01 12:27:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

स्थानीय पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया एवं कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा श्यामनरायम यादव के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर छीनी गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, इसलिए अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार नहीं है।
6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा श्यामनरायम यादव के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर छीनने का आरोप है। मामले में घटना दिनांक 16.05.2026 की बतायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.05.2026 को एक दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है, आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का जो भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया, उनमें उसकी दोषसिद्धि नहीं दर्शायी गयी है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है, आवेदक/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संदर्भ में कोई भी निष्कर्ष विचारण के स्तर पर लिया जा सकेगा। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य (2022) 10 एस०सी०सी० 51** की परिधि में आता है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।
8. अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य (2022) 10 एस०सी०सी० 51** के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार उसकी तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अमन यादव** की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। यदि दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, तो अभियुक्त द्वारा मुब०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/विवेचक के समक्ष उनकी संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये-

I. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

II. दौरान विवेचना व दौरान विचारण अभियोजन साक्षीगण को भयभीत व प्रभावित नहीं करेगा।

III. न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त स्वयं उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

IV. आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित मुकदमें में आरोप विरचन, बयान अन्तर्गत धारा- 351 बी०एन०एस०एस० अभिलिखित किये जाने तथा बहस हेतु नियत तिथियों पर अथवा न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

V. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में परीक्षण न्यायालय को उसकी अग्रिम जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक-01.06.2026

(कमलापति-I)

J.O. Code-UP-6168

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नं०-01,आजमगढ़।